प्रथम अपील अधिकारी, सूचना का अधिकार अधिनियम
एवं जिला कलक्टर उदयपुर
निर्णय द्वारा अध्यासित अरविन्द कुमार पोसवाल आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या: 46/2024 (अपील सूचना का अधिकार)

किशन लाल वैष्णव निवासी: 641, कर्मशील मार्ग, ब्रम्हपोल अन्दर, उदयपुर

..............अपीलार्थी

बनाम

1. लोक सूचना अधिकारी, अति. जिला कलक्टर(प्रशा), उदयपुर
2. सहायक लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी गिर्वा उदयपुर (राज.)

..................प्रत्यर्थी

प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांक: 03/06/2024

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत एक अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि दिनांक 28.03.2024 को एक प्रार्थना पत्र प्रत्यर्थी के कार्यालय में प्रस्तुत कर सूचना चाही गई। प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं करायी जाने से यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील अपीलार्थी दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी से अपील पर जवाब तथा सूचना उपलब्ध कराने हेतु पत्र कमांक रीडर/सू.अ.2005/प्रथम अपील/46/24/540–41 दिनांक 09.05.2024 से लिखा गया।

प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब शामिल पत्रावली किया गया। अपीलार्थी उपस्थित।

प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत जवाब जरिये पत्रांक 390 दिनांक 14.05.2024 से अवगत कराया कि अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत चाही गई वांछित सूचना का संबंध सहायक निदेशक, लोक सेवाएं उदयपुर से होने से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के तहत इस कार्यालय के पत्रांक 268–70 दिनांक 02.04.2024 द्वारा अंतरित कर दिया गया एवं उक्त अंतरण के संबंध में प्रार्थी को भी पूर्व में सूचित कर दिया गया था।

प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा अपने जवाब में निवदेन किया गया कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं परिवाद क्रमांक 032407818722991 के संबंध में कार्यालय सहायक निदेशक, लोक सेवाएं से अंतरित होकर प्राप्त हुआ है। प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना तहसीलदार गिर्वा से संबंधित होने से परिवाद के संबंध में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक परिवाद/2024/1006 से दिनांक 07.05.2024 को लिखा गया है। परन्तु प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना परिवाद न होकर आरटीआई के संबंध में चाही गई जिसके संबंध में तहसीलदार गिर्वा को पुनः इस कार्यालय के पत्र क्रमांक स.लो.सू.अ./2024/1144 दिनांक 30.05.2024 को पत्र लिखा गया है।

अपीलार्थी द्वारा उपस्थित होकर निवेदन किया गया कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना लेने हेतु आवेदन पत्र के संबंध में सूचना बिन्दुवार मय चाहे गये दस्तावेज उपलब्ध कराने के संबंध में कोई फोन, दस्तावेज या पत्र आज तक प्राप्त नहीं हुआ है।

जिला कलक्टर एवं
प्रथम अपील अधिकारी
उदयपुर (राज.)

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना तहसीलदार गिर्वा से संबंधित होने से सहायक लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना को परिवाद के रूप में लेकर तहसीलदार गिर्वा को पत्र लिखा गया। अपीलार्थी द्वारा अपील करने के उपरांत प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्रेषित करने के लिए तहसीलदार गिर्वा को पत्र प्रेषित किया गया परन्तु अपीलार्थी को इस संबंध में कोई पत्र प्रेषित नहीं किया गया।

अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी संख्या 2 सहायक लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी गिर्वा को निर्देशित किया जाता है कि वह संबंधित लोक अभिकरण से अपीलार्थी द्वारा चाही जा रही सूचना प्राप्त कर अपीलार्थी को नियमानुसार 15 दिवस में निशुल्क उपलब्ध करवाया जाना सुनिश्चित करे।

निर्णय की प्रति सहायक लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी गिर्वा को पालनार्थ एवं लोक सूचना अधिकारी एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ प्रेषित की जावें।

प्रकरण फैसल शुमार हो। बाद कार्यवाही दफ्तर दाखिल हो।

(अरविन्द कुमार पोसवाल)
प्रथम अपील अधिकारी,
सूचना का अधिकार अधि.
एवं जिला कलक्टर, उदयपुर

प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं जिला कलक्टर, उदयपुर